न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/221

01. जगदीषसिंह पुत्र करनेलसिंह जाति मजहबी जिनवासी 4 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–03.02.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने वादी के नाम से चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये वसीयत वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह की बजाय जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह दर्ज है व उक्त रकबा का कब्जा वादी का निरंतर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। वादी अनपढ़ व निरक्षर है इसलिए वह कुछ पढ़ लिख नहीं सकता है। जब उक्त रकबा की वसीयत लिखी गई थी। उस समय वादी को उसके गांव में आम बोलचाल भाषा में जगदीष नाम से ही पुकारते थे इसलिए वसीयत लिखते समय वादी का नाम जगदीष ही लिख दिया गया तथा उक्त वसीयत का नामान्तरण सं0 257 भी जगदीष नाम से दर्ज हो गया लेकिन उक्त राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय वादी का नाम जगदीष कुमार कर दिया गया। वादी अपने उक्त रकबा की फार्मर आईडी बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह है इसलिए आप अपने नाम की रिकॉर्ड में शुद्धि करवा लेवें, तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह होने की जानकारी मिली जबकि वादी के समस्त दस्तावेज जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह नाम से बने हुए है। वादी को उसके चक में जगदीष पुत्र करनेल सिंह व जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह दोनो ही नामों से जानते व पहचानते है तथा वादी ही जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह व जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह है। ये दोनो नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी के नाम का रकबा चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में जगदीष कुमार की जगह जगदीष सिंह की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में पटवारी रिपोर्ट, आधारकार्ड, वसीयत , नामान्तरण, जमाबंदी इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों वसीयत नामा, रसीद में जगदीष सिंह नाम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीष कुमार की जगह जगदीष सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीष कुमार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीष कुमार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीष कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।
निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)